दिनांक : .१.२०२०

प्रति,

मा. परिवहन मंत्री,

आंध्रप्रदेश

विषय : मकरसंक्रांतीनिमित्त होनेवाली बस टिकटों में दरवृद्धि त्वरित रद्द करने के संदर्भ में....

महोदय,

आंध्रप्रदेश के प्रशासन ने मकरसंक्रांती के समय श्रद्धालुओं की भीड के कारण असुविधा न हो इसलिए जगह-जगह जाने के लिए अधिक बसें छोडने की व्यवस्था की है; परंतु उसके लिए टिकट दर में ५० प्रतिशत किराया वृद्धि की गई है । गतवर्ष भी इसी प्रकार किराया वृद्धि की गई थी ।

सरकार एक ओर हज की धार्मिक यात्रा करने के लिए मुसलमान बंधुओं को सैकडों करोड रुपयों की छूट देकर अल्प खर्च में विमानप्रवास की सुविधा, विशेष वैद्यकीय सुविधा और उन्हें सरकारी खर्च से अर्थात बहुसंख्यांक हिन्दुओं के कररूप में जमा हुए पैसों से हज हाऊस बनाया । दूसरी ओर हिन्दुओं के त्यौहार और धार्मिक उत्सवों के समय इस प्रकार किराया वृद्धि करना, अधिभार लगाना जैसे प्रकार किए जाते हैं । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निषेधार्ह है । 'धर्मनिरपेक्ष' कहलानेवाली इस शासनप्रणाली में सभी धर्मों को समान न्याय मिले, ऐसा अपेक्षित होते हुए हिन्दुओं के साथ सदा ही भेदभाव किया जाता है, फलस्वरूप हिन्दू समाज के मन में अन्याय की भावना उत्पन्न हो रही है ।

राज्य परिवहन विभाग द्वारा लिए गए किरायावृद्धि के इस निर्णय का लाखों श्रद्धालुओं को बडी आर्थिक हानि होगी । यह निर्णय एक प्रकार से धार्मिक पक्षपात है और जानबूझकर हिन्दुओं के धार्मिक उत्सव पर बंधन लाने का प्रकार होने की भावना हिन्दू समाज में निर्माण हुई है ।

इस हेतु हम निम्नांकित मांगें कर रहे हैं –

१. सरकार मकरसंक्रांती के निमित्त की गई किराया वृद्धि शीघ्र रद्द की जाए ।

२. इन धार्मिक उत्सवों के स्थानों पर श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ।

३. भारतीय नागरिकों को धर्म के आधार पर सुविधा न देकर, सभी नागरिकों को समान सुविधा मिले, समान अधिकार मिले, इस हेतु देश में 'समान नागरीक कानून' लागू करें ।

प्रती :

१. राज्यपाल, आंध्रप्रदेश

२. केंद्रीय परिवहन मंत्री,

भारत सरकार, नई देहली.

आपका नम्र,

संपर्क :